कम्पनी में सदस्यता संबंधित नियम एवं शर्तें

1. कम्पनी में सदस्यता प्राप्त करने के लिए रू. 850/–(प्रवेश शुल्क रू.100/– और रू. 100/– प्रति शेयर मूल्य की दर से 5 शेयरों के लिए रू. 500/– और रू. 250/– शेयर प्रीमियम के लिये) जमा करने होगें। यदि कोई महिला सदस्य बन रही हो तो प्रवेश शुल्क मात्र रू.50/– होगा। प्रवेश शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नही होगा। कम्पनी में सदस्यता दिये जाने अथवा नही दिये जाने का पूर्णतः अधिकार संचालन मंडल के पास नियत है।

2. सदस्यों के सदस्यता वर्गीकरण की तालिका निम्नानुसार हैः–

वर्गीकरण का आधार	एक वर्ष में दूध देने के दिनों की संख्या के आधार पर	एक वर्ष में दूध देने की कुल मात्रा के आधार पर	सर्दी (नवम्बर से फरवरी) और गर्मी के सीजन (अप्रैल से जुलाई) में दूध आपूर्ति का अनुपात	कम्पनी के अभिदान किये गये न्यूनतम अंशों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति अंश रू.100/–)
ए	330 दिन	10000 लीटर या उससे अधिक	3:1 से अधिक नही	100
बी	270 दिन	4000 लीटर या उससे अधिक	3:1 से अधिक नही	40
सी	200 दिन	500 लीटर	3:1 से अधिक नही	5

3. प्रत्येक सदस्य को अपनी सदस्यता बनाये रखने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य हैः–

i. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिन दूध की आपूर्ति करना।

ii. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 लीटर दूध की आपूर्ति करना।

iii. सर्दी के सीजन (नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी) और गर्मी के सीजन (अप्रैल, मई, जून, जुलाई) में आपूर्ति किए गए दुग्ध का अनुपात 3:1 से अधिक नही होना चाहिए।

4. कम्पनी के अंतर्नियमों (Article of Association) के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए नियमों एवं शर्तें के अनुसार प्रत्येक सदस्य को अपनी दूध आपूर्ति के अनुपात में अंश पूंजी रखना अनिवार्य है। सदस्य द्वारा कम्पनी को आपूर्तित किए गए दूध की मात्रा, उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी से अधिक होती है तो कम्पनी रू. 1/– प्रति लीटर की दर से अंश मूल्य की राशि एवं रू. 0.50/– प्रति लीटर की दर से प्रीमियम की राशि, उसके दुग्ध भुगतान से कटौती करेगी तथा अतिरिक्त कटौती की गई अंश पूंजी की राशि को निदेशक मंडल की स्वीकृति के उपरान्त अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी।

5. सदस्य द्वारा कम्पनी के सदस्यता मापदंडों को उसकी सदस्यता की तिथि से कम से कम 5 वित्तीय वर्षों में अनुपालना करने के पश्चात सदस्य द्वारा अंशों का पूर्ण एवं आंशिक समर्पण/सदस्यता निरस्त करने की स्थिति में वह अंशों के सममूल्य के साथ–साथ निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित प्रीमियम की राशि भी पाने का पात्र होगा।

6. सदस्य द्वारा धारित अंश पूंजी उसके द्वारा आपूर्तित दूध के अनुपात से अधिक होती है तो कम्पनी नियमानुसार उसकी अतिरिक्त अंश पूंजी को लौटा सकती है। इस संबंध में निदेशक मंडल द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव अंतिम व सर्वमान्य होगा।

7. सदस्य को सदस्यता नियम के अनुसार घर में उपलब्ध बिक्री योग्य पूरा अतिरिक्त दूध को कम्पनी में आपूर्तित करना होगा और दूध की गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा।

8. कम्पनी द्वारा सदस्यता नहीं दिये जाने पर अथवा सदस्यता निरस्त हो जाने पर कम्पनी सदस्य को अंश पूंजी की राशि का भुगतान नियमानुसार सिर्फ चैक/डीडी/बैंक ट्रांसफर द्वारा करेगी।

9. सदस्य का सदस्यता लेते समय कम्पनी के साथ किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं होना चाहिए तथा सदस्य रहते हुए, वह कम्पनी की अनुमति के बिना कम्पनी के साथ किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध नही करेगा। कम्पनी के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध पाये जाने पर कम्पनी किसी भी समय बिना कारण बताये उसकी सदस्यता रद्द कर सकती है।

10. कम्पनी द्वारा सदस्यता सम्बन्धित लाभ सदस्य को उतने की दूध की मात्रा पर देय होगा जिसके अनुपात में उसके द्वारा अंश पूंजी ली गई है। सदस्य द्वारा वार्षिक दुग्ध की आपूर्ति अंश पूंजी से अधिक होने पर कम्पनी उसका सदस्यता कोड उस वित्तीय वर्ष के लिए बंद कर सकती है। गर्मी के सीजन (अप्रैल, मई, जून, जुलाई) में आपूर्ति किए गए दुग्ध के 3 गुणा से अधिक फ्लश सीजन (नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी) में होने पर सर्दी के सीजन के दौरान कम्पनी सदस्य का दुग्ध स्वीकार करना बंद कर सकती है।

11. सदस्य द्वारा दिये गये बैंक खाते में कम्पनी द्वारा किये जाने वाले भुगतान की राशि अगर किसी भी कारणवश बैंक द्वारा वापस लौटाई जाती है तो उसके लिए सदस्य स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा तथा विवाद का निस्तारण मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत होगा। एकल पंच की नियुक्ति मुख्य कार्यकारी, पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड द्वारा की जावेगी। कुल मध्यस्थता लागत दोनों पक्षों द्वारा बराबर वहन की जायेगी। एकल पंच महोदय का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

सदस्यता संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया कम्पनी के निम्नलिखित नम्बर पर सम्पर्क करें!

0141–4202102, 0141–4202108